386 374

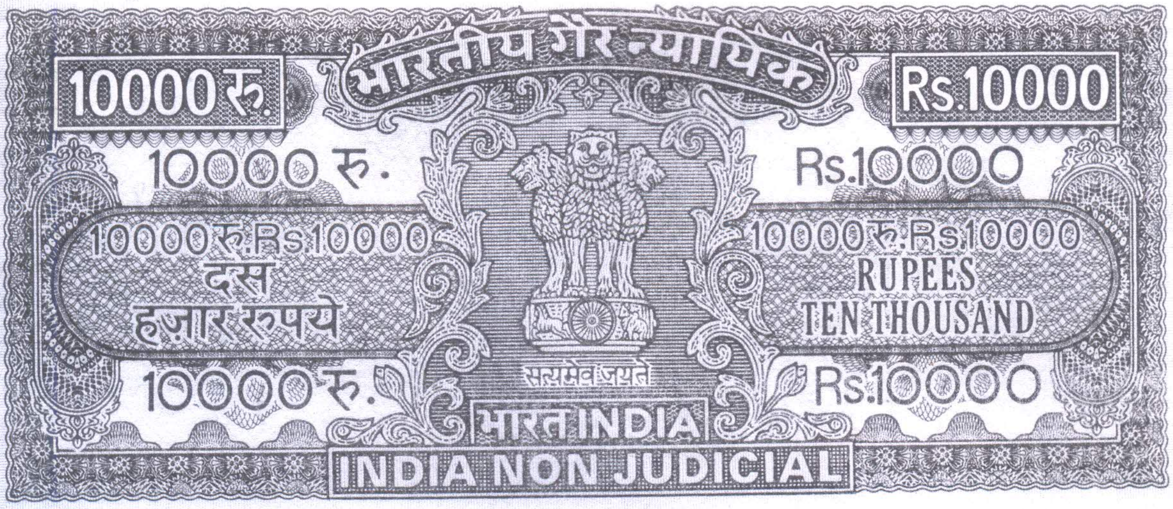

(3)

04AA 001134/12

तफसील वर्णित भूमि का मूल्य मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

8-5-12

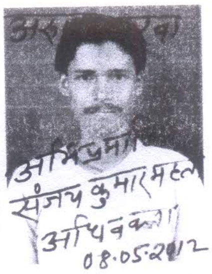

[redacted]

46 D Pro S.I

[redacted]

23 E A- With the permission by L.R.D.C. Simdega vide Case No. 465/2008-09 order dated 23-2-2012

[redacted]

08.5.12

Shailesh Barwa 8/5/12

§1§ लेख्यकारीगणः- §1§ अरूण बरवा वो §2§ शैलेश बरवा दोनों पिता स्व0 अन्धेरियस बरवा, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... विक्रेतागण ।

शपथ-पत्र संख्याः- 212, 213 /2012

फोर्म 60

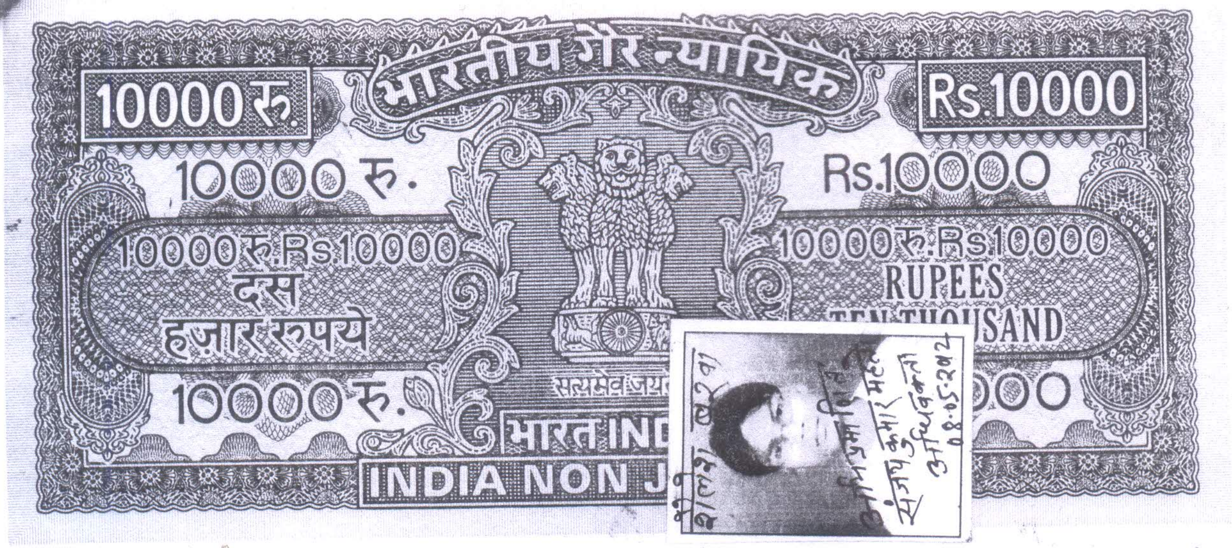

04AA 001135/12

(2) लेख्यधारी:- श्री जेम्स सोरेंग पिता स्व0 स्तानिसलास सोरेंग, जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी वो नौकरी, निवास ग्राम- गोतरा भुइटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 214/2012

फोर्म 60

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- मोबलिग पाँच लाख बीस हजार रूपये अंके 5,20,000/- रूपये होता है ।

(5) सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा ठाकुरटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 236 (दो सौ छतीस) प्लाट नं0 4998 (उनचास सौ अनठानबे) रकबा 0.63 एकड़ में से 0.22 एकड़ (बाईस डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश टांड़,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश कच्चा रास्ता 8 फीट,

पूरब :- इसी प्लॉट का शेष अंश,

अंगूठा 8.5.2012

Shailesh Barwa 8/5/12

दिनांक 8-5-2012

500Rs.

पश्चिमः- इसी प्लॉट का अंश दूसरा भाग टांड़ ।

मालगुजारी 3 पैसा {तीन पैसा} अलावे सेस सलाना ।

{1} चूँकि हम लेख्यकारीगण को मकान निर्माण हेतु एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब हमलोगों ने लेख्यधारी से हमारी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

{2} इसलिए हमलोगों ने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचे और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न हमारा कोई हक सरोकार रहा और न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

{3} हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में हमारे परदादा शंकरा उराँव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । हमारे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है ।

8.5.2012

8/5/12

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हेा चुका है । जो जमीन हमलोग बेच रहे हैं हमारे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर हमारा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 465/2008-09 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 23.2.2012 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 184§।।§ दिनांक 23.2.2012 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

8/5/12

100Rs.

हमलोग लेख्यकारीगण यह घोषणा करते हैं कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

8.5.2012

Shri Lakha Barwa
8/5/12

8.5.2012

Shri Lakha Barwa
8/5/12

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारीगणों के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
08.05.2012

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

James Soreng
8.5.2012

अभिप्रमाणित
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
08.05.2012

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
08.05.2012

100Rs.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-, संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
{प्रारूपकर्त्ता} 08.05.2012
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
8-5-2012

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

8.5.2012
8/5/12